झारखंड उच्च न्यायालय रांची

सिविल रिट याचिका संख्या 6545/2018

संदीप कुमार साह, उम्र लगभग 46 वर्ष, पिता - श्री हरगौरी प्रसाद साह के पुत्र , निवासी-मोहल्ला- रसिकपुर, पत्रा - थाना और जिला- दुमका

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. सचिव/प्रधान सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के माध्यम से झारखंड राज्य , जिसका कार्यालय प्रोजेक्ट बिल्डिंग, पत्रा एवं थाना-धुर्वा टाउन एवं जिला- रांची में है।
2. उपायुक्त, दुमका, पत्रा - थाना एवं जिला - दुमका
3. प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, दुमका, पत्रा - थाना एवं जिला - दुमका
4. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका, पत्रा - थाना एवं जिला - दुमका
5. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, दुमका, पत्रा - थाना एवं जिला - दुमका

..... उत्तरदाता

याचिकाकर्ता की ओर से : एस. पी. रॉय अधिवक्ता
: श्री आशीष कुमार ठाकुर, अधिवक्ता
: श्री कबिशा गोयनका, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओ की ओर से : श्री विनीत प्रकाश, एसी टूएससी-IV

प्रस्तुत
वर्तमान माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी ने
न्यायालय द्वारा

1. दोनो पक्षों को सुना।

2.यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए ज्ञाप संख्या 116 दिनांक 20.01.2018 में समादिष्ट 2018 के आदेश संख्या 25 को विखंडित करने के लिए दायर की गई है, जिसके तहत, याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए काली सूची में डाल दिया गया है और वर्ष 2015/16 के लिए परिवहन अभिकर्ता के रूप में याचिकाकर्ता का चयन वर्ष 2015 की ज्ञाप संख्या 295 दिनांक 24.03.2015, आदेश संख्या 51 के तहत पारित पूर्व आदेश के मद्देनजर अपास्त कर दिया गया है। लेकिन याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी को यह समादेशन देने की प्रार्थना परित्यक्त करता है कि याचिकाकर्ता को परिवहन के लिए डोर स्टेप डिलीवरी के तहत परिवहन अभिकर्ता के

रूप में राज्य खाद्य निगम के भण्डारण से सार्वजनिक वितरण दुकान तक खाद्यान्न ले जाने हेतु काम करने की अनुमति दी जाए, और ज्ञाप संख्या 116 दिनांक 20.01.2018 में समादिष्ट आदेश संख्या 25/2018 को विखंडित करने के लिए अपनी प्रार्थना को सीमित करते हैं।

3. मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता को वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए उपायुक्त, दुमका द्वारा परिवहन अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत वाउचर के आधार पर याचिकाकर्ता को भुगतान किया गया और उसे बढ़ा दिया गया; जब उत्तरदाता याचिकाकर्ता के काम से संतुष्ट थे और याचिकाकर्ता बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था , लेकिन अचानक , आदेश संख्या 51/2015 जैसा कि ज्ञापांक 295 दिनांक 24.03.2015 में समादिष्ट है , उपायुक्त, दुमका ने प्रखंड मुख्यालय से संबंधित पंचायतों तक खाद्यान्न की लदान, अलदान और परिवहन के लिए अभिकर्ता के रूप में याचिकाकर्ता की नियुक्ति को रद्द कर दिया और याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल तक काली सूची में डाल दिया गया , औरयाचिकाकर्ता से 1,39,277/- रुपये की राशि वसूलने का आदेश दिया गया। याचिकाकर्ता ने 2015 की डब्ल्यू.पी (सी) संख्या 1758 दायर की और उसमें तर्क दिया कि उक्त आदेश पारित करने से पहले उसे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने आदेश संख्या को विखंडित कर दिया। 51/2015 जैसा कि ज्ञाप संख्या 295 दिनांक 24.03.2015 में समादिष्ट है, लेकिन उत्तरदाताओं को सुनवाई का अवसर देने के बाद, यदि वे चाहें तो याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही करने की स्वतंत्रता दी। इसके बाद जिला पूर्ति अधिकारी ने याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया। लेकिन आदेश संख्या के तहत 25/2018, जिसे ज्ञाप संख्या 116 दिनांक 20.01.2018 के माध्यम से सूचित किया गया था , ने आदेश संख्या 51/2015 को अभिनिर्धारित करते हुए याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए फिर से काली सूची में डाल दिया, जैसा कि ज्ञापांक 295 दिनांक 24.03.2015 में समादिष्ट था, उचित था।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता कुलजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मुख्य महाप्रबंधक वेस्टर्न टेलीकॉम प्रोजेक्ट, भारत संचार निगम लिमिटेड और अन्य जो (2014) 14 एस.सी.सी 731 में प्रतिवेदित किया गया है के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हैं, जिसका कंडिका 25, इस प्रकार है:-

"25. यह कहना पर्याप्त है कि " विवर्जन" को मान्यता प्राप्त है और अक्सर विचलित आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को अनुशासित करने के लिए प्रभावी विधि का उपयोग किया जाता है , जिन्होंने गलतबयानी, अभिलेख के मिथ्याकरण और नियमों के अन्य उल्लंघनों सहित चूक और दलाली या धोखाधड़ी के कार्य किए हों , जिसके तहत ऐसे ठेके आवंटित किए गए थे। उल्लेखनीय बात यह है कि "विवर्जन" कभी भी स्थायी नहीं होता है और विवर्जन की अवधि हमेशा दोषी ठेकेदार द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगी।" जैसा कि प्रस्तुत किया गया है कि "विवर्जन" कभी भी स्थायी नहीं होता है और विवर्जन की अवधि हमेशा दोषी ठेकेदार द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति पर निर्भर करेगी। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि

उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दुमका (टी) थाना कांड संख्या 232/2018, के तदनुरूप जी.आर- 32/2018 में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कराई है। अंत में यह प्रस्तुत किया गया है कि रिट याचिकाकर्ता की एकमात्र प्रार्थना की अनुमति दी जाए।

5. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के कदाचार को ध्यान में रखते हुए ज्ञाप संख्या 16 दिनांक 20.01.2018 में समादिष्ट 2018 के आदेश संख्या 25 को याचिकाकर्ता के कदाचार को ध्यान में रखते हुए सही ढंग से पारित किया गया है , इसलिए , यह प्रस्तुत किया गया है कि यह रिट याचिका बिना किसी योग्यता के होने के कारण खारिज की जाए।

6. बार में की गई प्रस्तुतियों को सुनने और अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों को देखने के बाद , इस अदालत ने कहा है कुलजा इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम मुख्य महाप्रबंधक वेस्टर्न टेलीकॉम प्रोजेक्ट, भारत संचार निगम लिमिटेड और अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि याचिकाकर्ता को स्थायी रूप से काली सूची में डालने का आदेश , कानून में समर्थनीय नहीं है , तदनुसार, इसे विखंडित और अपास्त कर दिया जाना चाहिए जाना ,इसे अभिनिर्धारित में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

7. तदनुसार, 2018 के आदेश संख्या 25 जैसा कि ज्ञाप संख्या 116 दिनांक 20.01.2018 में समाविष्ट है को विखंडित तथा अपास्त किया जाता है।

8. इस रिट याचिका को केवल उस सीमा तक अनुज्ञात की जाती है, जब तक याचिकाकर्ता को काली सूची में डालने का आदेश अभिपुष्ट रहेगा, वह अवधि कानून के अनुसार, प्रवृत्त जिसके लिए ऐसा आदेश प्रभावी रहेगा , इस निर्णय की तारीख से छह महीने के भीतर , नए सिरे से निर्धारित की जाएगी।

9. पक्षकारों को अपना खर्च स्वयं वहन करना होगा ।

(अनिल कुमार चौधरी, जे.)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक, 19 मार्च, 2024
स्मिता/ए.एफ.आर

यह अनुवाद **किरण शंकर मिश्र**, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।